न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 06 / 18

दायरा दिनांक 01.02.2018

निर्णय दिनांक 29.07.2019

बउनवान

1. फूलचन्द उम्र 70 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी चकलोलक्या तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)

वादी

बनाम

1. देवकरण उम्र 75 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी चकलोलक्या तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)
2. नन्दकिशोर उम्र 65 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी चकलोलक्या तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)
3. सुखलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र मंशा जाति मीणा निवासी चकलोलक्या तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)
4. रामचन्द्र उम्र 40 वर्ष पुत्र मंशा जाति मीणा निवासी चकलोलक्या तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)
5. चरन्ताबाई उम्र 35 वर्ष पुत्री मंशा जाति मीणा निवासी चकलोलक्या तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय,किशनगंज जिला बारां

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :–29.07.2019

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक एन0के0 शर्मा इस आशय का पेश हुआ

1. यह कि तहसील किशनगंज के ग्राम बृजनगर पटवार हल्का मायथा के माल मे वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 के शामलाती खातेदारी की आराजी खाता सं0 नई –134 पुरानी 129 ख0न0 105 / 1 रकबा 37.00 बीघा मे वादी का 1 / 2 हिस्सा एवं ग्राम लोलक्या पटवार हल्का मायथा के माल

मे खाता संख्या नई 50 पुरानी 47 ख0न0 26 रकबा 7.16 बीघा, ख0न0 48 रकबा 14.16 बीघा, ख0न0 77 रकबा 19.11 बीघा, ख0न0 77/154 रकबा 7.00 बीघा,ख0न0–90 रकबा 20.06 बीघा, खसरा न0 125 रकबा 0.05 बीघा कुल खसरा–6 कुल रकबा 69.14 बीघा मे वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जिसे वाद पत्र मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि वादी ने प्रतिवादीगणों से अपनी 1/2,1/4 हिस्सा आराजी को पृथक–पृथक करवाने का मौखिक रूप से कई बार निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादीगणों के मन बदयान्ती आ जाने के कारण उन्होने वादी से विवादित आराजी पृथक–पृथक करवाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, जिसके कारण वादी अपनी हिस्सा आराजी का विकास नही करवा पा रहा है। वादी के कब्जे काश्त व टीनेन्सी हक हकूको को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। वादी को अपने हितो की रक्षार्थ न्यायालय की शरण आवश्यक हो गई है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगणों की सहखातेदारी की आराजी है, इसलिए वादी अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु अपने हिस्से एवं खातेदारी की आराजी को पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम दर्ज करवा पाने एवं प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

3. यह कि वाद कारण दिनांक 12.01.2018 को वादी द्वारा प्रतिवादीगणों से अपने हिस्से की विवादित आराजी पृथक–पृथक करवाने का मौखिक रूप से निवेदन करने पर प्रतिवादीगणों द्वारा वादी से विवादित आराजी पृथक–पृथक करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार करने पर ग्राम चकलोलक्या मे उत्पन्न हुआ है।

4. यह कि राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूस्वामी होने से उसे वाद पत्र मे परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है।

5. यह कि न्यायालय श्रीमान् को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

6. यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय का सादिर डिग्री फरमाया जावेः–

(अ) कि ग्राम बृजनगर एवं लोलक्या तहसील किशनगंज के माल की वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित विवादित आराजी मे से वादी का 1/2, 1/4 हिस्सा आराजी को पृथक किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के नाम अंकन किया जाकर मौके पर हल्का पटवारी से पैमाईश व सीमाकंन करवाया जाकर वादी को सम्भलाई जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

(ब) कि प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त मे जबरन किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करे

न अपने विधिक प्रतिनिधियों से करावे। वादी को शान्ती पूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे।

(स) कि अन्य न्यायोचित सहायता भी वादी को प्रदान की जावे जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 6 स्वयं उपस्थित क्रम 1,2,4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी क्रम 1,2,4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। क्रम 3,5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अधिवक्ता रामकिशन नागर ने प्रार्थना पत्र वास्ते एक तरफा आदेश निरस्त करने बाबत् इस आशय का पेश किया उक्त उनवान के प्रकरण मे आगे की तारीख पेशी सुनवाई हेतु निश्चित है।

यह कि प्रकरण मे गत तारीख पेशी पर प्रार्थी प्रतिवादी क्रम 1 बीमार हो जाने के कारण माननीय न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका था। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 को अनुपस्थिति दर्ज कर प्रार्थी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये।

यह कि विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदारा है जिसको न्यायहित मे सुना जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खिलाफ पारित किया गया एक तरफा आदेश निरस्त किया जाकर प्रार्थी को सुनवायी का अवसर दिया जावे।

नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता ने NO OBJECTION कहा प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया–

प्रतिवादी क्रम 1,3 व 5 की ओर से जवाब वाद पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैः–

1. यह कि मद नं0–1 वाद पत्र स्वीकार है।
2. यह कि मद नं0–2 वाद पत्र स्वीकार है।
3. यह कि मद नं0–3 वाद पत्र स्वीकार है।
4. यह कि मद नं0–4 वाद पत्र कानूनी है।
5. यह कि मद नं0–5 वाद पत्र कानूनी है।
6. यह कि मद नं0–6 वाद पत्र कानूनी है।

<u>काउन्टर क्लेम</u>

1. यह कि ग्राम बृजनगर एवं लोलक्या पटवार हल्का मायथा के माल मे स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी वर्णित मद

नं0 1 वाद पत्र मे से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगणों का हिस्सा आराजी पृथक की जाकर पृथक से प्रतिवादीगणों के खाते मे दर्ज किये जाने का काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाना न्याय हित मे आवश्यक है।

2. यह कि काउन्टर क्लेम उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बृजनगर एवं लोलक्या तहसील किशनगंज के माल की वादपत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे से प्रतिवादीगणों का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज हिस्सा आराजी को पृथक किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादीगणों के नाम अंकन की जाकर मौके पर हल्का पटवारी से पैमाईश एवं सीमाकंन करवाया जाकर प्रतिवादीगण को संभलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने जवाब मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

—:क्रियात्मक आदेश:—

वाकेग्राम बृजनगर पटवार हल्का मायथा तहसील किशनगंज की आराजी खाता सं0 नई 134 पुरानी 129, ख0न0 105/1 रकबा 37.00 बीघा मे वादी का 1/2 हिस्सा एवं वाकेग्राम लोलक्या पटवार हल्का मायथा की आराजी खाता सं0 नई 50 पुरानी 47 ख0न0 26 रकबा 7.16 बीघा, ख0न0 48 रकबा 14.16 बीघा,ख0न0 77 रकबा 19.11 बीघा, ख0न0 77/154 रकबा 7.00 बीघा,ख0न0 90 रकबा 20.06 बीघा,ख0न0 125 रकबा 0.05 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 69.14 बीघा मे वादी का हिस्सा 1/4 पृथक किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित की जावे तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 02.08.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

500

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.01.10 12:18:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: